न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :: नमित मेहता (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 30/2020 फोरलेन

उनवान

1 प्रेम कंवर पत्नी सुमेर सिंह चौहान निवासी, भीलवाड़ा।
2 राजश्री पत्नी भारतसिंह चौहान निवासी भीलवाड़ा।
3 कनुप्रिया पुत्री भारतसिंह चौहान निवासी भीलवाड़ा।
4 अक्षयराज पुत्र श्री भारतसिंह चौहान निवासी भीलवाड़ा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा।
2. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार जरिये परियोजना निदेशक (NHAI) 6–ए–1, आर.सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा।
3. नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा जरिये सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरूद्ध अवार्ड क्रमांक 190/2018 दिनांक 23.12.2019

उपस्थित –
1. श्री गोपाल अजमेरा–अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री दिनेशचन्द्र बापना–अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–2।

निर्णय

दिनांक : 14.3.2024

1– प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 प्रस्तुत जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी संख्या–1 के पुत्र, परिवादी संख्या 2 के पति एवं परिवारी संख्या 3 व 4 के पिता भारतसिंह चौहान की ग्राम धुलखेड़ा ग्राम पंचायत मालोला की सरहद मे स्थित बापी पट्टेशुदा जायदाद जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के लिये छःलेन विस्तार हेतु 605.87 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई है। अवाप्तशुदा भूमि का बापी पट्टा ग्राम पंचायत मालोला द्वारा दिनांक 07.04.1989 को भारतसिंह पुत्र सुमेर सिहं के नाम से जारी शुदा है। भारतसिंह का निधन दिनांक 01.01.2020 को हो जाने से प्रार्थीगण जो कि भारतसिंह के प्रथमश्रेणी के विधिक वारिसान है, उनके द्वारा यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (क) की उप धारा (1) के अधीन एक अधिसूचना दिनांक 21.08.2017 को जारी की जाना बताकर अधिनियम की धारा 3 डी(1) के अन्तर्गत दिनांक 01.03.2018 को प्रकाशित कर दिनांक 21.03.2018 को स्थानीय समाचार पत्रो में प्रकाशन करवा गया। प्रश्नगत भूमि पर निरन्तर बहैसियत मालिक कब्जा व आधिपत्य भारतसिंह का ही रहा है। उस पर सम्पूर्ण निर्माण भी भारतसिंह द्वारा ही करवाया गया। इस कारण निर्माण सरंचना का प्रतिकर भारत सिंह के नाम निर्धारण किया जाता है, लेकिन आराजी संख्या 592 राजस्व रेकार्ड में नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के नाम पर दर्ज होने के कारण एवं भारत सिंह द्वारा विधिक स्वामित्व का कोई सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण भूमि का स्वामित्व हितधारी भारतसिंह को नहीं मानकर नगर विकास न्यास को मानते हुए भूमि के मुआवजे की राशि

जिला कलक्टर (आर्बिट्रेटर) भीलवाड़ा

को अधिसूचना प्रकाशित करायी जाकर समाचार पत्रों मे दिंनाक 21.03.2018 को प्रकाशन कराया गया। अधिसूचना के अनुसार नगर विकास न्यास के खाते में अंकित ग्राम पंचायत धूलखेडा तहसील भीलवाडा की आराजी संख्या 554 रकबा 0.02 बीघा किस्म गे.मु. रास्ता में से 0.0253 है०, आराजी संख्या 556 रकबा 0.01 बीघा किस्म गे.मु रास्ता में से 0.0150 है., आराजी संख्या 593 रकबा 0.02 बीघा किरम गे.मु. रास्ता में से 0.0180 है., आराजी संख्या 611/3 रकबा 3.06 बीघा किस्म गे.मु. मंगरी में से 0.2050 है. एवं आराजी 592 रकबा 0.02 बीघा किस्म गे.मु. भटवेड में से 0.0253 है. भू–भाग अवाप्त किया गया।

5— अप्रार्थी संख्या–2 NHAI द्वारा अपने जवाब में आगे अंकित किया कि तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट दिनांक 19.08.2019 अनुसार आराजी संख्या 592 रकबा 0.02 बीघा बिलानाम से नामान्तरकरण संख्या 546 दिनाक 25.02.2017 द्वारा नगर विकास न्यास भीलवाडा के नाम दर्ज हुई। उक्त आराजी में मौके पर 8 बाई 8 फीट पर जमीनी लेवल से टैंक व उसके साथ दीवार निर्मित है। इसके अलावा कोई निर्माण नहीं है। उक्त तथ्यों की रोशनी मे भारत सिंह अथवा उसके विधिक वरिसानों को नगर विकास न्यास में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर चाराजोही करनी चाहिये थी। माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। चूंकि अवाप्ताधीन आराजी संख्या 592 राजस्व रेकार्ड में नगर विकास न्यास, भीलवाडा के नाम दर्ज है तथा भारत सिंह द्वारा विधिक स्वामित्व सम्बन्धी कोई सुसंगत दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी के यहाँ पेश नही किये गये है, जिससे भारत सिंह के सुनवाई के अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए अवाप्ताधीन भूमि का प्रतिकर नगर विकास न्यास भीलवाडा के नाम तथा उस पर निर्मित निर्माण संरचना का प्रतिकर भारत सिंह के नाम पर निर्धारण किया गया है तथा आराजी संख्या 554, 556, 593, 611/3 राजस्व रेकार्ड में नगर विकास न्यास के नाम दर्ज होने से उक्त आराजियात बाबत नगर विकास न्यास के नाम प्रतिकर निर्धारण किया गया है। सक्षम प्राधिकारी ने सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाडा को निर्देश दिये कि यदि भारत सिंह द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा विधिक स्वामित्व के दस्तावेज पेश कर दिये जाते है और नगर विकास न्यास के रेकार्ड अनुसार उक्त अवाप्ताधीन भूमि पर भारत सिंह अथवा किसी अन्य व्यक्तियो का विधिक स्वामित्व बनता हो तो जाँच कर प्रतिकर संबंधित को दिया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी ने आगे यह भी लिखा कि अवाप्ताधीन भूमि पर किसी व्यक्ति का विधिक स्वामित्व सिद्ध नही होने की स्थिति में प्रतिकर राशि का व्यय शर्तों के अधीन किया जावेगा। राजस्व रेकार्ड में भूमि नगर विकास न्यास के नाम दर्ज है जिससे सक्षम प्राधिकारी ने राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने के उपरांत विधि अनुसार अवार्ड जारी किया है। अन्त में अंकन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

6— विपक्षी संख्या–3 नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा अपने जवाब में **अंकित किया गया कि** प्रकरण में भूमि यू.आई.टी. पैराफेरी में होने से क्षतिपूर्ति अवार्ड न्यास के नाम पर जारी हुआ है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं सक्षम प्राधिकारी (भू.अ.) भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण हाजा में न्यास भूमि ग्राम धूलखेड़ा आराजी नम्बर 554 रकबा 0.02 में से 0.0253 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 556 रकबा 0.01 में से 0.0150 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 593 रकबा 0.02 में से 0.0180 हैक्टेयर, आ.नं. 611/3 रकबा 3.06 में से 0.2050 हैक्टेयर, आ. नं. 592 रकबा 0.02 हैक्टेयर में से 0.0253 हैक्टेयर कुल 2862 वर्गमीटर भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–79 को छः लेन चौड़ाकरण में अवाप्ति की जाकर मुआवजा स्वरूप राशि 48,15,000/–रूपये भुगतान किए जाने के आदेश दिये गये है। चूंकि प्रकरण में भूमि युआईटी पैराफेरी में होने से क्षतिपूर्ति अवार्ड न्यास के नाम पर जारी हुआ है। इस प्रकार विपक्षी को विहित प्रकिया के तहत उक्त क्षतिपूर्ति राशि भुगतान की गई है। यदि प्रार्थी उक्त राशि पाने का अधिकारी है तो सक्षम एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करावें। अन्त में अंकित किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
(आर्बिट्रेटर)
भीलवाडा

7— **विपक्षीगण का जवाब प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।** प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा द्वारा प्रतिकर निर्धारण प्रकरण संख्या 190/2018 में दिनांक 23.12.2019 को पारित अवार्ड में ग्राम धुलखेडा ग्राम पंचायत मालोला की अवाप्ताधीन प्रश्नगत भूमि की मुआवजा राशि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के स्थान पर हम प्रार्थीगण को दिलाये जाने का आदेश फरमावें।

8— **जबकि विपक्षी संख्या 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में** जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व रेकार्ड में भूमि नगर विकास न्यास के नाम दर्ज है, जिससे सक्षम प्राधिकारी ने राजस्व रेकार्ड का अवलोकन करने के उपरांत विधि अनुसार अवार्ड जारी किया है। प्रश्नगत अवार्ड में सक्षम प्राधिकारी ने सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाडा को निर्देश दिये है कि यदि भारत सिंह द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा विधिक स्वामित्व के दस्तावेज पेश कर दिये जाते है और नगर विकास न्यास के रेकार्ड अनुसार उक्त अवाप्ताधीन भूमि पर भारत सिंह अथवा किसी अन्य व्यक्तियो का विधिक स्वामित्व बनता हो तो जाँच कर प्रतिकर संबंधित को दिया जा सकता है। अन्त में कथन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

9— **मैंने अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।** पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन एवं मनन पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अति० जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा ग्राम मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 554, 556, 593, 611/3 व 592 में से 2862 वर्गमीटर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–79 छःलेन निर्माण/चौड़ा करने हेतु अवाप्त की जाकर दिनांक 23.12.2019 को अवार्ड पारित किया गया। उक्त अवार्ड में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि का मुआवजा सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के नाम जारी किया गया। उक्त आराजियात में से आराजी संख्या 592 में प्रश्नगत भू–भाग पर स्थित निर्माण संरचना का मुआवजा भारत सिंह सुमेर सिंह राजपूत निवासी मालोला के नाम जारी किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नगत भूमि का मुआवजा नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के स्थान पर स्वयं को दिलाये जाने हेतु अनुतोष चाह रहा है।

10— पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से परीक्षण करने पाया हमनें पाया कि प्रश्नगत अवार्ड क्रमांक भूमि अवाप्ति/प्रतिकर/प्र0सं0 190/2018 दिनांक 23.12.2019 में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अवाप्तशुदा आराजियात में से प्रश्नगत आराजी संख्या 592 में से प्रश्नगत भू–भाग पर स्थित निर्माण संरचना का मुआवजा भारत सिंह सुमेर सिंह राजपूत निवासी मालोला के पक्ष में जारी किया गया है। उक्त अवार्ड आदेश में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा श्री भारत सिंह के सुनवाई के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए, भूमि का प्रतिकर नगर विकास न्यास के पक्ष में जारी कर उक्त अवार्ड में स्पष्ट अंकित किया हुआ है कि–"**सचिव नगर विकास न्यास को निर्देश दिये जाते है कि श्री भारत सिंह अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विधिक स्वामित्व के दस्तावेज पेश कर दिये जाते है/नगर विकास न्यास के रेकार्ड के अनुसार उक्त अवाप्ताधीन भूमि पर श्री भारत सिंह अथवा किसी अन्य व्यक्ति का विधिक स्वामित्व बनता हो तो जांच कर प्रतिकर राशि का भुगतान संबंधित व्यक्ति को कर दिया जावें।**" इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अवार्ड में अवाप्ताधीन भूमि की प्रतिकर राशि नगर विकास न्यास को भुगतान कर दी गई है एवं उक्त भू–भाग का वैधानिक स्वामित्व श्री भारत सिंह अथवा किसी अन्य व्यक्ति का सिद्ध होने की स्थिति में उक्त मुआवजा/प्रतिकर राशि का भुगतान उस हितबद्ध व्यक्ति को कर दिये जाने के निर्देश दिये गये है।

जिला कलक्टर
(अर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा

उपरोक्त सम्पूर्ण परीक्षण उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं सक्षम प्राधिक (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा द्वारा पारित प्रश्नगत अवार्ड संख्या 190/2018 दिनांवि 23.12.2019 पूर्णतया वैध एव उचित है, क्योकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अवार्ड प्रश्नगत भू-भाग का मुआवजा भारत सिंह के सुनवाई के अधिकार को सुरक्षित रखते हु नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के नाम पर जारी किया गया है, जिसमें सचिव नगर विका न्यास, भीलवाड़ा को स्पष्ट निर्देश दिये गये है श्री भारत सिंह अथवा किसी अन्य व्यवि द्वारा विधिक स्वामित्व के दस्तावेज पेश कर दिये जाते है/नगर विकास न्यास के रेका के अनुसार उक्त अवाप्ताधीन भूमि पर श्री भारत सिंह अथवा किसी अन्य व्यक्ति का विधिव स्वामित्व बनता हो तो जांच कर प्रतिकर राशि का भुगतान संबंधित व्यक्ति को कर दिय जावें। उक्त निर्देशों की पालना में सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा को कार्यवाही किये जाने अथवा नहीं किये जाने संबंधी कोई दस्तावेजात अथवा आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचनानुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायालय उचित नहीं समझता है, परन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों को मध्येनजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 आंशिक रूप से स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव-

आदेश

अतः प्रार्थी परिवादी का यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों को मध्येनजर रखते हुए आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं प्रश्नगत अवार्ड में जारी निर्देशों की पालना में नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने संबंधी कोई तथ्य/आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से, सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को निर्देश दिये जाते है कि वे अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश/अवार्ड क्रमांक भूमि अवाप्ति/प्रतिकर/प्र0स0./190/2018 दिनांक 23.12.2019 की पालना में प्रश्नगत भू-भाग की प्रतिकर राशि का भुगतान संबंधित हितबद्ध व्यक्ति को किये जाने बाबत् प्रार्थीगण को सुनकर, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात व तथ्यों का विधिक परीक्षण कर, प्रकरण का एक माह में नियमानुसार निस्तारण करें तथा प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रश्नगत भू-भाग पर अपने स्वामित्व से संबंधित समस्त दस्तावेजात लेकर शीघ्रताशीघ्र सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रति सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को पालनार्थ प्रेषित की जावें। अधिनस्थ न्यायालय का तलबिदा रिकॉर्ड मय निर्णय की प्रति अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा को अविलम्ब लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.3.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
(आर्बिट्रेटर)
भीलवाड़ा